



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 16, 2002/फाल्गुन 25, 1923

No. 128]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 16, 2002/PHALGUNA 25, 1923

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2002

सा.का.नि. 211(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) (संशोधन) आदेश, 2002 है ।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश, 1998 में,—

(i) खंड 2 में मद (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(छ) ‘तेल कंपनी’ से अभिप्रेत है इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आईपीपी कंपनी लिमिटेड या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म या कंपनी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुबंधों के अनुसार सीधे ही उपभोक्ताओं या व्योहारियों को मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का विपणन और विक्रय करने में लगी है ;”;

(ii) खंड 3 के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(3क) मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन पर निर्वहन - केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का उपभोक्ताओं या व्यवहारियों को विपणन और विक्रय नहीं करेगा ;

(3ख) मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकार जारी किए जाने के लिए आवेदन- ऐसा कोई व्यक्ति जो मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का विपणन और विक्रय करने के लिए प्राधिकार अभिप्राप्त करने का इच्छुक है, केन्द्रीय सरकार को अनुसूची 4 में दिए गए प्ररूप के अनुसार आवेदन करेगा ;

(3ग) आवेदन फीस- आवेदन के साथ आवेदन फीस के रूप में दस लाख रुपए की रकम या तो बैंकर के चेक या वेतन और लेखाधिकारी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पक्ष में नई दिल्ली में संदेय मांगपत्र के रूप में संदत्त की जाएगी ;

(3घ) मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल का विपणन करने के लिए प्राधिकार- केन्द्रीय सरकार आवेदन की संवीक्षा करने के पश्चात्, यदि उसका आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के बारे में समाधान हो जाता है तो आवेदक से सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी रकम के लिए बैंक प्रत्याभूति प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी । यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक केन्द्रीय सरकार द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन के प्राधिकार के लिए अधिकथित शर्तों को पूरा करता है तो प्राधिकार को, प्राधिकार के निर्वन्धनों और शर्तों को उपदर्शित करते हुए जारी किया जाएगा ;

(3ङ) प्राधिकार का रद्दकरण- इस आदेश में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि प्राधिकार से संबंधित शर्तों में से किसी का उल्लंघन किया गया है तो वह खंड (3घ) के अधीन जारी प्राधिकार को रद्द कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस खंड के अधीन किसी प्राधिकार को रद्द करने से पूर्व आवेदक को एक नोटिस जारी किया जाएगा और उस रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित की जाए, कोई जांच कराई जाएगी ।”;

(iii) अनुसूची 3 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“अनुसूची 4

[खंड (3ख) देखें]

आवेदन प्ररूप

(मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल के विपणन का प्राधिकार जारी करने के लिए)

सेवा में,

संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001.

1. आवेदक का नाम
- 2.0 फर्म की किरम (जो लागू न हो उसे काट दें)
- 2.1 पब्लिक लिमिटेड कंपनी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/भागीदारी फर्म/स्वत्वधारी फर्म/अन्य
- 3.0 पता

3.1 रजिस्ट्रीकृत कार्यालय

4.0 निदेशकों/भागीदारों/स्वत्वधारी के नाम, पते और टेलीफोन नम्बर ।

5.0 नई और अपूर्ण परियोजनाओं के लिए परियोजनाओं की पूर्ति अनुसूची के साथ किए गए और/या किए जाने के लिए पात्र क्रियाकलापों में प्रस्तावित विनिधान के ब्यौरे-

- (i) नए आघारिक तेलशोधक कारखानों की स्थापना और/ या विद्यमान तेलशोधक कारखानों का अपरिष्कृत तेल की प्राप्ति और परिवहन प्रसुविधाओं जैसी प्रसुविधाओं का विस्तार सहित ;
- (ii) हाइड्रोकार्बन जिसके अंतर्गत कोयला संस्तर मैथेन और सहबद्ध सुविधाएं जैसे अपरिष्कृत तेल/ प्राकृतिक गैस पाइप लाइन, अपरिष्कृत तेल और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण संयंत्र भी हैं, की खोज और उत्पाद ;
- (iii) अपरिष्कृत तेल /एलएनजी टर्मिनल ;
- (iv) प्राकृतिक गैस/पेट्रोलियम उत्पादों/एपीजी पाइप लाइनों का सामान्य वाहक ;
- (v) पर्यावरण से संबंधित मानकों को पूरा करने के लिए उत्पाद की क्वालिटी में सुधार के लिए अतिरिक्त आस्तियों की स्थापना करने के लिए उपर्युक्त क्रियाकलापों में विनिधान ;

टिप्पण- उपर्युक्त विनिश्चयों से भिन्न क्रियाकलाप पात्र नहीं होंगे ।

6.0 नई और अपूर्ण परियोजनाओं की पूर्ति के लिए समय उनकी पूर्ति की तारीख सहित पूरा होने का समय उपदर्शित किया जाए ।

7.0 विपणन की स्कीम का विवरण—

- (i) विपणन किए जाने वाले उत्पादों के प्रदाय का स्रोत ;
- (ii) स्थापित किए गए और स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित टैंकेंज और अन्य अवसंरचनाएं, उनकी धारिता सहित ;
- (iii) डिपो और खुदरा निकासों के लिए उत्पाद के परिवहन के साधन ;
- (iv) स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित खुदरा निकासों की संख्या और अवस्थिति तथा उनके भण्डारण तथा योजन क्षमता के ब्यौरे ;
- (v) विपणन स्कीम के अंतर्गत आने वाले उत्पादों की कुल मात्रा और प्रकार ।

टिप्पण— उपर्युक्त के संबंध में ब्यौरे पृथकतः संलग्न किए जाएं ।

8.0 खुदरा सेवा बाध्यताओं और विपणन सेवा बाध्यताओं के संबंध में अनुपालन की रीति--

- (i) दूरस्थ क्षेत्रों/कम सेवा क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित खुदरा निकासों की संख्या ;

- (ii) दूरस्थ क्षेत्रों/कम सेवा क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित अन्य विपणन अवसंरचना ;
- (iii) विद्यमान विपणन कंपनियों सहित प्रस्तावित वाणिज्यिक करार, यदि कोई हो ;
- (iv) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9.0 संदत्त आवेदन फीस का ब्यौरे ।

घोषणा

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और आवेदन के साथ लगे हुए उपाबंध और कथन सही, पूर्ण और सत्य रूप से कथित हैं और यदि इसमें किया गया कोई कथन गलत पाया जाता है तो मैं विधि के उपबंधों के अधीन कार्रवाई के लिए दायी हूंगा ।

[फ़ा. सं. पी-23015/1/2001- विप.]

एस. विजयराघवन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण.—मूल आदेश, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 772(अ), तारीख 28 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2002

G.S.R. 211(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, namely :-

1. (1) This order may be called the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) (Amendment) Order, 2002.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply and Distribution and Prevention of Malpractices) Order, 1998, -

(i) In clause 2, for item (g), the following item shall be substituted, namely, :-

(g) " 'Oil company' means the Indian Oil Corporation Limited, the Hindustan Petroleum Corporation Limited, the Bharat Petroleum Corporation Limited, IBP Co. Limited or any person, firm or company authorized by the Central Government who is engaged in marketing and sale of Motor Spirit or High Speed Diesel directly to consumers or dealers in accordance with the stipulations laid down by the Central Government from time to time;" ;

(ii) after clause 3, the following clauses shall be inserted, namely :-

“(3A) Restriction on Marketing of Motor Spirit and High Speed Diesel, - No person, other than those authorized by the Central Government, shall market and sell Motor Spirit or High Speed Diesel to consumers or dealers.

(3B) Application for issue of authorization by the Central Government to market Motor Spirit and High Speed Diesel, - Whosoever desires to secure authorization to market and sell Motor Spirit and High Speed Diesel shall submit application to the Central Government as per the form given in Schedule IV.

(3C) Application fee, - An amount of rupees ten lakh shall be paid as application fee along with the application either by way of banker's cheque or demand draft in favour of Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas payable at New Delhi.

(3D) Authorization to market Motor Spirit and High Speed Diesel, - After scrutiny of the application, the Central Government shall, if it is satisfied with the details furnished by the applicant, require the applicant to furnish bank guarantee for an amount specified by the Government. If the Central Government is satisfied that the applicant fulfils the conditions laid down by the Government, authorization to market Motor Spirit and High Speed Diesel shall be issued indicating the terms and conditions of authorization.

(3E) Cancellation of authorization, - Notwithstanding anything contained in this Order, the Central Government may, if it is satisfied that any of the conditions relating to the authorization have been violated, cancel the authorization issued under clause (3D) :

Provided that before cancelling the authorization under this clause, a notice will be issued to the applicant and an inquiry will be got conducted in the manner as may be decided by the Central Government.” ;

(iii) after Schedule III, the following Schedule shall be inserted, namely, -

“Schedule IV
[see clause (3B)]

Application form
(for issue of authorization to market Motor Spirit and High Speed Diesel)

To,
The Joint Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India,
Shastri Bhawan, New Delhi – 110001.

1. **Name of Applicant**

2.0 **Type of firm (strike out whichever is not applicable)**

- 2.1 Public Limited Company/Private Limited Company/Partnership firm/Proprietorship firm/Others.
- 3.0 Address:
- 3.1 Registered office
4. Names, addresses, telephone numbers of Directors/Partners/Proprietor.
- 5.0 Details of investment made and/or proposed to be made in eligible activities along with completion schedule of the project for new and incomplete projects -
- (i) setting up new grass root refineries and/or expansion of the existing refineries along with facilities like crude oil receipt and transportation facilities.
 - (ii) exploration and production of hydrocarbons including coal bed methane, and associated facilities like crude oil/natural gas pipelines, crude oil and natural gas processing plants.
 - (iii) terminals for crude oil/LNG.
 - (iv) common carrier natural gas/petroleum products/LPG pipelines;
 - (v) investment in the above activities for setting up additional assets for improvement in quality of product to meet environmentally related norms.

Note:- The activities other than those specified above would not be eligible.

- 6.0 Time for the completion of new and incomplete projects to be indicated with completion date.
- 7.0 Details of scheme of marketing -
- (i) the source of supply of products to be marketed;
 - (ii) tankage and other infrastructure established/proposed to be established along with their capacity;
 - (iii) means of transportation of products to depots and to retail outlets;
 - (iv) the number and locations of retail outlets proposed to be established and details of their storage and dispensing capacity;
 - (v) the total quantum and type of products to be covered under the marketing scheme.

Note:- Details on the above may be separately attached.

- 8.0 The mode of compliance relating to retail service obligations and marketing service obligations.
- (i) number of retail outlets proposed to be set up in remote areas/low service areas;

- (ii) other marketing infrastructure proposed to be set up in remote areas/low service areas;
 - (iii) commercial agreements proposed, if any, with the existing marketing companies.
 - (iv) others (please specify)
9. Details of application fee paid.

DECLARATION

Certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and the information as annexures and statements accompanying this application are correct, complete and truly stated and if any statement made herein is found to be incorrect, I shall be liable for action under the provisions of law.

[F. No. P-23015/1/2001-Mkt.]
S. VIJAYARAGHAVAN, Jr. Secy.

Foot Note :—The Principal Order was published in the Gazette of India vide G.S.R. 772(E), dated the 28th December, 1998.